

कार्यालय :- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद फतेहपुर।

विज्ञापित/सूचना

मध्यस्थता केन्द्र फतेहपुर हेतु 25 मध्यस्थों की नियुक्ति हेतु

माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर के आदेश के अनुपालन में एवं उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया जिला न्यायालय मध्यस्थता नियमावली- 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में 25 मध्यस्थ अधिवक्ताओं का चयन किये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहपुर द्वारा आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं, शैक्षित योग्यता सम्बन्धित वांछित विवरण निम्नवत है:-

01. ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो।
02. सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
03. ऐसे विशेषज्ञ जिनके पास अपने-अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हो।

आवश्यक निर्देश:-

01. चयनित आवेदन की नियुक्ति उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया जिला न्यायालय मध्यस्थता नियमावली-2021 के अधीन होगी।
02. चयनित आवेदन की नियुक्ति मध्यस्थ पैनल बनाये जाने की दिनांक से तीन वर्ष के लिए होगी।
03. आवेदको को एक उपक्रम प्रस्तुत कराना होगा कि वे भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
04. आवेदक को न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामलों में दण्डित न किया गया हो।
06. आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक अभिलेखों व चरित्र प्रमाण-पत्र तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ एवं पासपोर्ट साइज के दो फोटोग्राफ, आधार कार्ड की छायाप्रति, स्थायी निवास की सत्यप्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

उपरोक्त अर्हता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थी मध्यस्थता पैनल में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहपुर के कार्यालय में दिनांक 07.08.2025 की सायं 05:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदको का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा। उक्त आवेदन का प्रारूप जनपद न्यायालय फतेहपुर की वेबसाइट <https://fatehpur.dcourts.gov.in> पर जाकर Recruitment ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है। साक्षात्कार की तिथि एवं समय जनपद न्यायालय फतेहपुर की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जायेगी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर के कार्यालय के सूचनापट पर चस्पा कर दी जायेगी। आवेदक समय-समय पर जनपद न्यायालय फतेहपुर की अधिकारिक वेबसाइट का अवलोकन करते रहे या कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

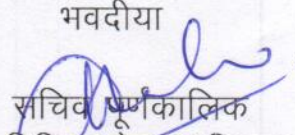
दिनांक:- 02/8/2025

भवदीया
सचिव पूर्णकालिक
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
फतेहपुर

प्रतिलिपि:-

01. माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. श्रीमान प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर जनपद न्यायालय फतेहपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की प्रति को जनपद न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।
03. जिला सूचना अधिकारी, फतेहपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क व जनहित में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
04. श्रीमान अध्यक्ष/महामंत्री जिला बार एसोसिएशन फतेहपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति प्रति को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।
05. श्रीमान अध्यक्ष/महामंत्री तहसील खागा एवं बिन्दकी बार एसोसिएशन जनपद फतेहपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति प्रति को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।
06. केन्द्रीय नाजिर, जिलाधिकारी फतेहपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति प्रति को कलेक्ट्रेट फतेहपुर व समस्त तहसीलों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।
07. केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, फतेहपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति प्रति का जनपद न्यायालय, फतेहपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।

दिनांक:- 04/8/2015

भवदीया

सचिव, पूर्णकालिक
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जनपद फतेहपुर।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
फतेहपुर।

प्रशासनिक आदेश संख्या: 188/2025 दिनांक- 14-08-2025

मा. उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक संख्या-2829/एस.एल.एस.ए.-31 (सी) ऋ/संदीप दिनांकित 27.07.2025 के अक्षरशः अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर में, अतिरिक्त नवीन 25 मध्यस्थ अधिवक्तागण का मनोनयन किया जाना है। उक्त के सन्दर्भ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर में नवीन आवदेन पत्र प्राप्त हो चुके हैं। उ.प्र. सिविल प्रक्रिया (डिस्ट्रिक्ट कोर्ट) मीडिएशन रूल्स-2021 के नियम-3 के अनुसार नवीन अधिवक्तागण की नियुक्ति हेतु एक चयन समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

- | | |
|---|---------|
| 1. जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहपुर। | अध्यक्ष |
| 2. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या:-1 फतेहपुर। | सदस्य |
| 3. सचिव (पूर्णकालिक), जि.वि.से.प्राधिकरण, फतेहपुर। | सदस्य |

सर्वसम्बन्धित सूचित हो।


(अनमोल पाल)
जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।

प्रेषिका,

आकांक्षा मिश्रा
सचिव(पूर्णकालिक)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
फतेहपुर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
फतेहपुर।

महोदय,

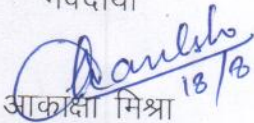
सादर अवगत कराना है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर में मध्यस्थ अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक-2338 एस.एल.एस.ए.83/2025(संदीप/रि) दिनांकित-30 जुलाई 2025 द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर में मध्यस्थ अधिवक्ताओं के पद पर नियुक्ति के लिए मध्यस्थ अधिवक्ताओं के आवेदन पत्र आमंत्रित कर अपेक्षित कार्यवाही किया जाये। उपरोक्त के अनुपालन में प्रेस विज्ञप्ति करायी गयी, तथा आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथि 07.08.2025 को सायं 05.00 बजे तक नियत की गयी। जिसके अनुक्रम में आवेदन प्राप्ति के अन्तिम तिथि तक कुल इकत्तीस (31) आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

उपरोक्त के संदर्भ में माननीय द्वारा चयन समिति का गठन किया जा चुका है। अतः उक्त मध्यस्थ अधिवक्ताओं के पद हेतु आवेदकों का साक्षात्कार दिनांक 19.08.2025 को प्रातः 10.30 बजे माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विश्रामकक्ष में किया जाना नियत किया गया है।

उपरोक्त माननीय महोदय की सेवा में अनुमोदनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

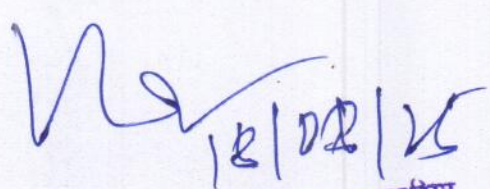
दिनांक-18.08.2025

भवदीया


18/8/2025

आकांक्षा मिश्रा
सचिव (पूर्णकालिक)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जनपद फतेहपुर।

0
आकांक्षा मिश्रा
अनुमोदित


18/08/25
जनपद न्यायाधीश
फतेहपुर